न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 69 / 2015

1 निवास पुत्र रामदेवा जाति जांगिड़ निवासी भड़ौदा कलां तहसील व जिला झुन्झुनू।
2 धन्नाराम पुत्र जीवणराम जाति जांगिड़ निवसी भड़ौदा कलां तहसील व जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व दिनांक 09.12.2014
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू
बमुकदमा उनवानी निवास बनाम राज. सरकार
मु.नं. 33 / 2014 निर्णय दिनांक 09.12.2014

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री इन्द्रजीत शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 2.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 33/2014 में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती व निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 646, 648 वाके ग्राम भड़ौदा कलां का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में अपीलांट ने स्पष्टतः वर्णित किया है कि उक्त वादग्रस्त जमीन ठिकाना कुमावास की थी जो वादीगण के बुजुर्गों से काश्त करवाते थे, ठिकाना कुमावास की लगान रसीदात भी पेश की गई ठिकाना रिज्यूस होने के बाद राजस्थान सरकार द्वारा भी उक्त वादग्रस्त जमीन का लगान वादीगण के बुजुर्गों से लिया गया जिसका इन्द्राज ढालबाढ में है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त जमीन वादीगण के बुजुर्गों की व वादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

की कब्जा काश्त एवं खातेदारी में रही। लगान रसीदात व ढालबाढ इत्यादि दस्तावेजी साक्ष्य मूल वाद में पेश किये गये तथा उक्त वादग्रस्त जमीन बाबत तहसीलदार चिड़ावा का निर्णय दिनांक 27.07.1971 को पेश किया किन्तु विचारण न्यायालय ने कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य का मनन व अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है। राजस्व अपील अधिकारी झुन्झुनू में भी अपने पूर्व निर्णय उक्त वादग्रस्त जमीन बाबत वादीगण के दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उक्त वादग्रस्त जमीन से वादीगण को हित मानकर पूर्व निर्णय दिनांक 29.04.2006 व डिक्री दिनांक 02.06.2006 को खारिज कर उक्त दावा विचारण न्यायालय में इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया था कि मौके की जांच कर वह तहसीलदार चिड़ावा के निर्णय 27.07.1971 को मध्य नजर रखकर पूर्ण निर्णय निर्धारित करें। प्रकरण में तहसीलदार ने झुन्झुनू मौके की जांच की ओर मौका रिपोर्ट दिनांक 14.09.2012 को पेश की जिसमें वादग्रस्त जमीन पर वादीगण का कब्जा या काश्त होना माना गया किन्तु विचारण न्यायालय ने माननीय अपील निर्देशों की अपालना कर न तो तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 14.09.2012 का अवलोकन किया न ही तहसीलदार चिड़ावा के निर्णय दिनांक 27.07.1971 का अवलोकन किया मात्र गलत राजस्व अवलोकन के आधार पर मात्र पूर्व निर्णय 29.04.2006 की पूर्नआवर्ती करते हुए पूर्व निर्णय करने में कानूनी भूल की है। उक्त प्रकरण में वादीगण के दावा या कोई जवाबदावा प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट की ओर नहीं दिया गया जिनके जवाब देही दिनांक 11.12.2003 को बन्द कर दी गई वादीगण के बयान खास शपथ पत्र पर भी कोई जिरह प्रतिवादी की ओर नहीं की गई है। इस प्रकार एक तरह वादीगण का दावा प्रतिवादी की ओर स्वीकृत ही रहा किन्तु विचारण न्यायालय विधिगत के सुस्थापित पाकर नियमों के विरूद्ध जाकर निर्णय करने में कानूनी भूल की है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि मिसल हकीयत सम्वत 1999 एवं उसके पश्चात बने समस्त राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि की किस्म बंजड़ दोयम जोहड़ दर्ज है। इनकी किस्में परिवर्तन संबंधी स्वीकृति का क्षेत्राधिकार राज्य सरकार में निहित हैं वर्तमान में गैर मुमकिन जोहड़/नदी/तालाब/तलाई /नाडा आदि की भूमियों के सम्बन्ध में जनहित याचिका 1536/03 अब्दूल रहमान बनाम सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान पीठ, जयपुर द्वारा पारित निर्णय के अनुसार उपर्युक्त भूमियों की 15.08.1947 की स्थिति कायम करने के निर्देश है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 व 19 में खातेदारी अधिकारी प्रोद्भूत होने के प्रावधान है किन्तु जो भूमिया जैसे गै.मु. नदी/जोहड़ की है ऐसी भूमियों पर उक्त अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये जाने का नियमानुसार नियमों में प्रावधान नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आने के कारण वादी को वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। अपीलांट ने विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मिसल हकीयत सम्वत 1999 एवं उसके पश्चात बने समस्त राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि की किस्म बंजड़ दोयम जोहड़ दर्ज है। इनकी किस्में परिवर्तन संबंधी स्वीकृति का क्षेत्राधिकार राज्य सरकार में निहित हैं खसरा गिरदावरी सम्वत 2009–2012 तक तथा 2013–16 में जरूर काश्त दर्ज है किन्तु किस हैसियत से दर्ज है यह अंकन नहीं है वर्तमान में गैर मुमकिन जोहड़/नदी/तालाब/

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

तलाई /नाडा आदि की भूमियों के सम्बन्ध में जनहित याचिका 1536/03 अब्दूल रहमान बनाम सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान पीठ, जयपुर द्वारा पारित निर्णय के अनुसार उपर्युक्त भूमियों की 15.08.1947 की स्थिति कायम करने के निर्देश है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 व 19 में खातेदारी अधिकारी प्रोद्भूत होने के प्रावधान है किन्तु जो भूमिया जैसे गै.मु. नदी/जोहड़ की है ऐसी भूमियों पर उक्त अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये जाने का नियमानुसार नियमों में प्रावधान नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आने के कारण वादी को वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। अपीलांट ने विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 3.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर